No. 35035/7/97-Estt(D)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions.
(Department of Personnel and Training)

....

New Delhi-110001
February 16, 2005

OFFICE MEMORANDUM

Subject:- DPC Guidelines – No supersession in promotions – regarding.

....

The undersigned is directed to refer to DoPT OM No. 35034/7/97-Estt (D) dated 8.2.2002 on the above noted subject and to say that in accordance with the decision of the Government not to permit supersessions in promotions, all Ministries/Departments were requested to take immediate steps to amend the Service/Recruitment Rules of various services/posts/grades so as to appropriately incorporate the mode of promotion as 'selection' in place of 'selection by merit' and 'selection-cum-seniority', as the case may be, to bring them in conformity with the above decision of the Government and to make promotions accordingly. To facilitate the amendments to the relevant Service Rules/Recruitment Rules, consultation with DoPT before carrying out the required amendments was dispensed with.

2. It has been brought to the notice of this Department by the UPSC that the Ministries/Departments have not initiated action to amend the Service Rules/Recruitment Rules and the Commission is being requested to hold DPCs in accordance with existing Service Rules/Recruitment Rules which provide for supersessions. Accordingly, the Commission has decided that any proposal for DPC, which is received and is found to be against the revised policy instructions, will be returned to the Ministries/Departments. A proposal would be considered only when the relevant Service Rules/Recruitment Rules were amended as envisaged in the DoPT OM dated 8.2.2002.

4. As orders in the matter were issued almost 3 years back, a situation where the Rules have still not been amended in conformity with the above decision of the Government cannot be justified or allowed to continue. All Ministries/Departments are, accordingly, requested to ensure that they review all Recruitment/Service Rules and carry out amendments in conformity with the decision contained in DoPT O.M. dated 8.2.2002 through a time bound exercise.

Contd..2/-

5. A status report in this regard may be furnished to this Department latest by 31st May 2005. The decision of the UPSC may also be noted.

(Alok Saxena)
Director

To

All Ministries/Departments of the Government of India.

Copy to:-

1. The President's Secretariat, New Delhi.
2. The Prime Minister's Office, New Delhi.
3. Cabinet Secretariat, New Delhi.
4. Rajya Sabha Secretariat/ Lok Sabha Secretariat, New Delhi.
5. The Registrar General, Supreme Court of India.
6. The Registrar, Central Administrative Tribunal, Principal Bench, New Delhi.
7. The Comptroller and Audit General of India, New Delhi.
8. Secretary, Union Public Service Commission w.r.t. his D.O No. F.10/7/2001-AUC dated 4.1.2005.
9. Staff Selection Commission, New Delhi.
10. All attached offices under the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions.
11. National Commission for Scheduled Castes, New Delhi.
12. National Commission for Scheduled Tribes, New Delhi.
13. National Commission for OBCs, New Delhi.
14. Secretary, National Council(JCM), 13, Ferozeshah Road, New Delhi
15. Establishment Officer & A.S.
16. All Officers and Sections in the Department of Personnel and Training.
17. Director(CS), Lok Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi.
18. Facilitation Center, DoP&T(**20 copies**).
19. NIC (DoP&T) for placing this Office Memorandum on the Website of DoP&T
20. Establishment (D) Section (**200 copies**).

*****

संख्या - 35035/7/97 - स्थापना (घ)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 16 फरवरी, 2005

कार्यालय ज्ञापन

विषयः- पदोन्नति में अधिक्रमण न होने देने संबंधी विभागीय पदोन्नति समिति के मार्ग-निर्देश ।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 08.02.2002 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 35034/7/97-स्थापना (घ) का हवाला देने तथा यह कहने का निदेश हुआ है कि पदोन्नतियों में अधिक्रमण न होने देने के सरकार के निर्णय के अनुसार सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया गया था कि वे विभिन्न सेवाओं/पदों/ग्रेडों के सेवा/भर्ती नियमों को इस तरह संशोधित करें कि "योग्यता के आधार पर चयन" और "चयन सह वरिष्ठता" जैसा भी मामला हो, के स्थान पर पदोन्नति की पद्धति में "चयन" शामिल कर लिया जाए ताकि भर्ती नियम आदि सरकार के उपर्युक्त निर्णय के अनुरूप बन सकें और पदोन्नतियां तदनुसार ही की जाएं । संगत सेवा नियमों/भर्ती नियमों में संशोधन को सुकर बनाने के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग से पूर्व परामर्श करने की शर्त हटा ली गई थी ।

2. संघ लोक सेवा आयोग द्वारा इस विभाग के ध्यान में यह तथ्य लाया गया है कि मंत्रालयों/विभागों ने नियमों/भर्ती नियमों में संशोधन की कार्रवाई प्रारंभ नहीं की है तथा वे आयोग से मौजूदा सेवा/भर्ती नियमों, जिनमें अधिक्रमण का प्रावधान है, के अनुसार ही विभागीय पदोन्नति समितियां आयोजित करने का अनुरोध करते हैं । तदनुसार, आयोग ने निर्णय किया है कि विभागीय पदोन्नति समिति से संबंधित ऐसे प्रस्ताव जो संशोधित मार्ग-निर्देशों के अनुरूप नहीं पाए जाते उन्हें मंत्रालयों/विभागों को लौटा दिया जाएगा । किसी प्रस्ताव पर तभी विचार किया जाएगा जब कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 08.02.2002 के कार्यालय ज्ञापन में विहित योजना के अनुसार संगत सेवा/भर्ती नियम संशोधित कर लिए गए हों ।

3. चूंकि उपर्युक्त मामले में आदेश 3 वर्ष पहले जारी किए गए थे अतः सरकार के उपर्युक्त निर्णय के अनुरूप नियमों को अभी तक संशोधित न किए जाने पाने की स्थिति न्यायसंगत नहीं है तथा ऐसी स्थिति को जारी नहीं रहने दिया जा सकता । तदनुसार, सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया जाता है कि वे सभी भर्ती/सेवा नियमों की समीक्षा करने तथा उन्हें कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 08.02.2002 के कार्यालय ज्ञापन मे निहित निर्णय के अनुरूप समयबद्ध रूप से संशोधित किया जाना सुनिश्चित करें ।

....2/-

4. इस संबंध में इस विभाग को, अधिकतम 31 मई, 2005 तक एक स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए । संघ लोक सेवा आयोग के निर्णय को भी नोट कर लिया जाए ।

(आलोक सक्सेना)
निदेशक

सेवा में,
भारत सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित :-

1. राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली ।
2. प्रधान मंत्री कार्यालय, नई दिल्ली ।
3. मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली ।
4. राज्य सभा सचिवालय/लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
5. महापंजीयक, भारत का उच्चतम न्यायालय ।
6. पंजीयक, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, प्रधान न्यायपीठ, नई दिल्ली ।
7. भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली ।
8. सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली को उनके दिनांक 04.01.2005 के अ.शा. पत्र संख्या-एफ.-10/7/2001-ए.यू.सी. के संदर्भ में ।
9. कर्मचारी चयन आयोग, नई दिल्ली ।
10. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत सभी संबद्ध कार्यालय ।
11. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नई दिल्ली ।
12. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली ।
13. राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, नई दिल्ली ।
14. सचिव, राष्ट्रीय परिषद (जे.सी.एम.) 13, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली ।
15. स्थापना अधिकारी और अपर सचिव ।
16. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सभी अधिकारी और अनुभाग ।
17. निदेशक (सी.एस.), लोकनायक भवन, खान मार्किट, नई दिल्ली ।
18. सूचना सुविधा काउंटर, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (20 प्रतियाँ) ।
19. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) को यह कार्यालय ज्ञापन, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की वेबसाइट पर सुलभ करवाने हेतु ।
20. स्थापना (घ) अनुभाग (200 प्रतियाँ) ।